ISSN: 2582-5526 www.thevoiceofcreativeresearch.com

The Voice of Creative Research

Vol. 7 & Issue 3 (July 2025)

https://doi.org/10.53032/tvcr/2025.v7n3.15

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020: जनजातीय शिक्षा के लिए दृष्टिकोण

National Education Policy (NEP) 2020: A Vision for Tribal Education

डॉ. अजय कुमार प्रजापति

असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग)

श्री बिक्रमा चौहान स्मारक महाविद्यालय रामपुर भुजही आजमगढ़

Abstract

The Union Cabinet has approved the New National Education Policy (NEP) 2020 as a reformative measure aimed at enhancing the Indian education system to meet the needs of 21st-century India. The policy aims to provide students with access to quality higher education, with a major goal of universalizing primary education (for the age group 3–6 years). In the realm of tribal education, support schemes for employment will be strengthened through cutting-edge technological updates in fields such as Artificial Intelligence, 3D modeling and analysis, and biotechnology. The policy sets a target of achieving a 100% Gross Enrollment Ratio (GER) by 2030, and to this end, it proposes a public expenditure of 6% of GDP on the education sector through collaborative efforts between the NEP and state governments. Under this new policy, the Ministry of Human Resource Development has been renamed as the Ministry of Education. One of the key strategies for developing life skills among tribal children is investment in sports. A marked improvement has been observed in their self-efficacy and team spirit. As part of this initiative, tribal children in states like Jharkhand, Mizoram, Manipur, and Assam were engaged in football and hockey activities, resulting in enhanced community engagement and team-building capacities. The community has also been encouraged to share indigenous knowledge related to herbal medicine.

Keywords: National Education Policy 2020, Tribal Education

सारांश:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, जो 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारेगी। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, और इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु समूह) को सार्वभौमिक बनाना है। जनजातीय शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्री-डी मॉडलिंग-एनालिसिस, जैवप्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकी अद्यतन से रोजगार की समर्थन योजनाएं बढ़ाई जाएगी। 2020 से 2030 तक समग्र नामांकन अनुपात को 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर 6% जीडीपी का सार्वजनिक व्यय निर्धारित किया गया है। इस नई नीति

के अंतर्गत, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित किया गया है। जनजातीय बच्चों में कई जीवन कौशलों का विकास करने का एक प्रमुख तरीका खेलों में निवेश करना है। उनकी आत्म-प्रभावकारिता और टीम भावना में एक स्पष्ट वृद्धि हुई है। इस परियोजना का हिस्सा झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, और असम में जनजातीय बच्चों को फुटबॉल और हॉकी में शामिल करना था, जिससे उनकी समुदाय से जुड़ाव और टीम स्पिरिट में सुधार हुई है। समुदाय को हर्बल दवाओं के स्वदेशी ज्ञान को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

कूट शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जनजातीय शिक्षा

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 1986 सन् में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह परिवर्तन है अंतरिक्ष के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया इस नीति द्वारा देश में है। परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में सुधार 100 प्रतिषत देष के पूर्व–विद्यालयों से माध्यमिकों के साथ–साथ षिक्षा की दशाा में सार्वभौमिक स्तर तक रखा है।

सन् 1985 के अगस्त में 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रीत्व में जारी किया गया था। इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिये जनता से सलाह मांगना शुरू किया था।

इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः ''शिक्षा मंत्रालय'' करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है जो इस समय 4.43% है। एम० फिल० को समाप्त किया जायेगा। अब अनुसंधान में जाने के लिये तीन साल के स्नातक डिग्री के बाद दो साल स्नातकोत्तर करके पी–एच0डी0 में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर पुरजोर बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस रखने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले 'समूह' के अनुसार विषय चुने जाते थे, किन्तु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के पाठ्यक्रम में विज्ञान के

साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में दूसरी और पहली कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है।

स्कूलों में 10+2 फार्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फार्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले पांच साल में प्री–प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी वहीं अब तीन साल के प्री–प्राइमरी के बाद कक्षा एक शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3–5 के तीन साल शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज (कक्षा 9 से 12वीं तक का) 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की स्वतंत्रता थी।

अध्यापन के माध्यम के रूप में कक्षा–एक से कक्षा–पॉच तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जायेगा। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की भी कोशिश की गई है जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिये दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर दूसरे वर्ष पर छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पर छोड़ने पर डिग्री देने है।

जनजातीय दृष्टिकोण :

भारत की लगभग 8 प्रतिषत आबादी जनजातीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के बीच समग्र साक्षरता दर 58 प्रतिषत है। हालांकि ये औसत जनजातीय बहुल राज्यों में विविधता को छुपाते हैं। उदाहरण के लिए, मिजोरम देश के शीर्ष पाँच साक्षर राज्यों में– झारखंड, जिसमें एक बड़ी जनजातीय आबादी भी है, निचले पाँच में है। जनजातीय आबादी के बीच कमजोर शैक्षिक स्तर का एक प्रमुख कारक स्कूली शिक्षा सम्पूर्ण होने की खराब दर है। प्रत्येक 100 जनजातीय विद्यार्थियों में से 67 प्राथमिक विद्यालय पूरा करते हैं, केवल 42 आठवीं कक्षा पूरी करते हैं। कार्य मंत्रालय द्वारा भारत में अनुसूचित जनजातियों के सांख्यिकीय प्रोफाइल, सन् 2013 के अनुसार, कक्षा 12 में जनजातीय विद्यार्थियों की पूर्णता दर 100 में से 14 है। महिलाओं के लिए आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 66वें दौर के निष्कर्षों के अनुसार, केवल 1 प्रतिषत ग्रामीण जनजातीय महिलाएँ स्नातक की पढ़ाई पूरी करती हैं।जनजातीय विकास के केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों में शिक्षा सबसे बड़ा खर्च होने के बावजूद, स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकारी रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्कूलों, अन्य सुविधाओं या छात्रवृत्ति की कोई कमी नहीं है। हालाँकि, अधिकांश जनजातीय युवाओं को ये प्रोत्साहन अनाकर्षक लगते हैं। नतीजतन, जनजातियों को आत्मसात् करने का सरकार का सपना अधूरा रह जाता है और ऐसी नीतियों और रणनीतियों के कार्यान्वयन के बारे में बुनियादी सवाल उठता है। जनजातीय शिक्षा योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली मुख्य समस्याएँ तथा सुझाव इस प्रकार हैं–

1. **उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच का अभाव–** जनजातीय क्षेत्र के प्राथमिक–विद्यालय में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच का अभाव है जिसके कारण निम्न स्तर के शैक्षिक परिणामों और जनजातीय बच्चों के बीच निम्न माध्यमिक विद्यालय की पूर्णता दर देखने को मिलती है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2016) के अनुसार, मातृभाषा मे पहुँच की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, केवल 7 प्रतिषत स्कूलों के शिक्षक जनजातीय भाषाओं में विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं। यह संचार अंतराल समझ की कमी की ओर ले जाता है जो अंततः जनजातीय बच्चों के लिए पूरी स्कूली शिक्षा को कमजोर करता है।

2. **प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा** – द्विभाषी प्रारूप या जनजातीय में आकर्षक कहानियों की किताबों का उपयोग, प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष रूप से कक्षाएक और दो में मातृभाषा को सचेत रूप से शामिल करना We appreciate you. बच्चों को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के अधिग्रहण में सहायता करते हैं, हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रभावी साबित हु 2020 में मातृभाषा पर ध्यान देने की व्यापक चर्चा हुई है और इसका स्वागत भी किया गया है। जहा ँ हो कहीं भी संभव अधिमानतः इससे आगे ग्रेड 8 तक और यहाँ तक कि आगे भीएक भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। 5 तक के विद्यार्थियों के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो, एन.ई.पी.2020, जहाँ तीन भाषा के फॉर्मूले और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर बहस जारी है, 2011 द्वारा उपलब्ध कराए गए मातृभाषा के आंकड़ों के अनुसार, देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देता है। भाषा जनगणना कम से कम 121 भारतीय भाषाएं हैं जिनमें से 22 को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है जबकि 99 नहीं हैं।ऐसा नहीं है कि पहली बार मातृभाषा आधारित शिक्षा की चर्चा हो रही है। 2013 में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा नीति तैयार की थी जिसके तहतएक पाठ्यक्रम ढ़ांचा अपनाया गया जिसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा बच्चों की शिक्षा की बात कही गयी थी।

विद्यार्थी–शिक्षक संबंध– शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध के जनजातीय विद्यार्थियों और महत्त्वपूर्ण कक्षाओं में सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कारकों में से एक हैं। यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि जनजातीय बच्चों की पृष्ठभूमि उनके गैर–जनजातीय सहपाठियों या शिक्षकों के समान नहीं होती है। जनजाती विंद्यार्थियों के बीच स्कूल की परमपराओं एवं तौर–तरीकों भाषाओं और विरासत का सम्मान करने और उन्हें महत्त्व देने की आवश्यकता है। जनजातीय के बीच स्वदेशी ज्ञान की इस अविश्वसनीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रचारित करना शिक्षकों और अकादमिक कर्मिय होनी चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों और सामुदायिक स्वरूप ंसेवको बाल–केंद्रित, अनुभवात्मक शैक्षणिक विधिय प्रशिक्षण देना, सीखने के परिवेष में में सुधार करते हुए जनजातीय विद्यार्थियों के बीच स्कूल की पूर्णता दर में संभावित रूप से सुधार कर सकता है। अनेक शैक्षिक अनुसंधान ने यह साबित किया है कि आत्म–प्रभावकारिता अर्थात् अधिगम के परिणामों को निर्धारित करने में सफल होने की क्षमता पर स्वयं का विश्वास बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी तरह एक और कुमार (2010) द्वारा गोंड जनजाति पर किए गए शोध से पता चला है कि शिक्षक जनजातीय विद्यार्थियों से कम उम्मीदें रखते हैं और उनका मानना है कि वे तथाकथित शिक्षित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के समान सीखने में असमर्थ हैं। बच्चों को यह मानने के लिए सामाजीकृत किया जाता है कि जनजातीय भाषा संस्कृतिहीन है और 'शिक्षित' होने का अर्थ है अपनी सांस्कृतिक, भाषाई और मनोवैज्ञानिक पहचान से दूर जाना। इसलिए जनजातीय बच्चों की शिक्षा को व्यापक दुनिया से जोड़ने के लिए दरवाजे खोलते हुए जनजातीय पहचान की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

3. **सामग्री और पद्धति जनजातीय शिक्षा की** – सामग्री और पद्धति जनजातीय शिक्षा की निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जनजातीय युवाओं की अद्वितीय ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, लेकिन उन्हें दो संस्कृतियों को जोड़ने के अपने प्रयासों में विशेष ध्यान और अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। कई स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम जिनमें जनजातीय युवाओं से संबन्धित पाठ है, या तो उनके लिए अप्रासंगिक हैं और या तो जनजातीय समाजों के केवल नकारात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं। बच्चों के चित्र और लेखन, कविता पोस्टर और स्थानीय गीतों के संग्रह के प्रदर्शन के माध्यम से स्कूल में एक प्रिंट–समृद्ध वातावरण बनाना, और गैर–साक्षर घर के वातावरण में प्रिंट के साथ जुड़ने

के लिए बच्चों को कहानी की किताबें निर्गत करना कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिन्होंने काम किया है। जनजातीय बच्चों में कई तरह के जीवन–कौशल पैदा करने का एक सिद्ध तरीका खेलों में निवेश करना है। एक परियोजना के हिस्से के रूप में, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और असम में जनजातीय बच्चे फुटबॉल और हॉकी में लगे हुए थे। उनकी आत्म–प्रभावकारिता और टीम भावना में एक स्पष्ट वृद्धि हुई थी। समुदाय के सदस्यों को हस्तशिल्प सिखाने के लिए आमंत्रित करना, या हर्बल दवाओं के स्वदेशी ज्ञान को साझा करना, या कहानी सुनाना स्कूलों और समुदायों को जोड़ने के शक्तिशाली तरीके साबित हुए है ं।

भाषायी विविधता का संरक्षण :–

- NEP-2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

निष्कर्ष :–

पर्याप्त प्राथमिक कक्षाओं के लिए मातृभाषा पर आधारित जनजातीय आबादी वाले कई राज्यों में बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम चल रहे है, लेकिन अभी भी एक खाई मौजूद है क्योंकि जन जातीय भाषा के शिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम का आभाव है। भारत को अपने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। एन.ई.पी.2020 प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है लेकिन केंद्र और राज्यों दोनों को सार्वजनिक निवेश द्वारा समर्थित मजबूत इरादे के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। यह समग्र जनजातीय शिक्षा और उनके समावेशी विकास पर विचार करने का समय है। जनजातीय शिक्षा के लिए केंद्रीय और राज्य के बजट से पर्याप्त धन आवंटित करने और पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने के लिए सरकार, नीति–निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थानों के बीच सहयोग और की तत्काल आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को जनजातीय बच्चों की शैक्षिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों और समुदायों को केंमी हमेशा युवाओं को समाज के सदस्यों के रूप में एक क्रमबद्ध, शिक्षा का उद्देश्य आनुक्रमिक तरीके से विकसित करने के लिए आवश्यक चीजें देना रहा है। इसलिए जनजातीय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शैक्षिक विधियों को प्रायोजित किया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की खोज में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए एक मजबूती की आवश्यकता होती है और यह केवल स्कूलों स्तंभों के रूप में शामिल करके ही संभव किया जा सकता है।

सन्दर्भ

अनुसूचित जनजातियों के सांख्यिकीय प्रोफाइल (2013) : जनजातीय कार्य मंत्रालयः नई दिल्ली भारत सरकार।

उप्पल, श्वेता 2010 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याएँः नई दिल्ली– एन. सी.ई.आर.टी.।

मेनन, एस., कृष्णमूर्ति, आर., सजिता, एस., आप्टे, एन., बसर्गेकर, ए., सुब्रमण्यम, एस., नलकामनी, एम., और मोदुगला, एम. (2017) : भारतीय भाषाओ ं मे ं साक्षरता अनुसंधान : मराठी और कन्नड़ में प्रारंभिक पठन और लेखन पर तीन वर्षीय अनुदैर्ध्य अध्ययन की रिपोर्ट : बैंगलुरू अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और नई दिल्ली टाटा ट्रस्ट्सराष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 66, (2016)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020): मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार : नई दिल्ली। https://www-education-gov-in/sites/upload&files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0-pdf से लिया गया ।

राय, एन और कुमार, वी. (2010, जनवरी–जून): जनजातीय शिक्षा हस्तक्षेप के लिए रणनीतियाँ : द एशियन मैनः लखनऊ एआईएचएसडी द्वारा प्रकाशित, वॉल्यूम–4 अंक–1, आईएसएसएन–09746366

वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 : जनजातीय कार्य मंत्रालय : नई दिल्ली भारत सरकार।

वार्षिक रिपोर्ट (2016): राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय : नई दिल्ली। file:///C:/Users/DR48D7~1NIS/AppData/Local/Temp/Annual%20Report%202016&17.